DIPR/ 63 /TENDNER/2025 Tender Inviting Authority

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Helpline No. 1800-111-400 and 1950: www.ceodelhi.gov.in

GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NCT OF DELHI - 2025

PUBLIC NOTICE

TOI
08-01-2025

Single Window System for Issuance of Permissions During Elections Period

It is hereby informed to all political parties, candidates and other concerned that **"Single Window System"** has been setup in the office of all 11 District Election Officers of Delhi, for receiving of applications and to issue permissions/decisions to the political parties and candidates for public meetings/rallies/processions/loudspeakers and use of vehicles for election campaigning as well as use of non-commercial/remote/uncontrolled airports/heli-pads etc. to facilitate during the election period.

The procedure at **"Single Window System"** will be as follows:-

1. a. The political party/ candidates seeking permission has to apply online through the Mobile App **"Suvidha Candidate App"** or on ECI portal at **suvidha.eci.gov.in** at least **48 hours** before the event along with details of Expenditure Plan in the prescribed format given in Annexure-D1 of Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (December-2024) (available on https://www.eci.gov.in/compendium-of- instructions) in accordance with the instructions of Election Commission of India.

   b. The political party/ candidate seeking permission may also apply to the ACP (Permission) at Single Window in the office of the District Election Officer.

   c. A political party/ candidate may apply through an application for permission in respect of those events/rallies/processions etc. scheduled to be organized within 07 days of making the application (excluding the day of application).

   d. Separate application has to be filed for more than one event on a particular day.

   e. In case an event/rally/procession etc. is to be held in the area covering jurisdiction of more than one Returning Officers of Assembly Constituency, then separate applications have to be filed to the ACP (Permission) in the office of concerned District Election Officers separately.

2. ACP (Permission) after obtaining necessary clearance, if any, from other departments such as fire, local authorities, land owning agencies, DISCOMS (Electricity), Delhi traffic Police etc. will issue the permission/decision to the political party/candidate within stipulated time.

3. The permission/ decision to the applicant will be issued on **"First Come First Serve"** basis from the Single Window only.

4. The application form can be downloaded from CEO's Delhi website at URL https://ceodelhi.gov.in
   The above mentioned system/procedure shall remain in force till the completion of election process.
   Following is the details of Single Window System setup in the Office of District Election Officers:-

S. No.	Name of the District	Address of the Single Window	Name and Designation ACP/Inspector (Permission)	Mobile No.
01	North-West	Room No. 17, Waiting Hall, DC Office Complex, Kanjhawala, Delhi 110081	Sh. Krishan Lal, ACP	9999631613
02	North-East	Single Window, District North-East, B-Block, Ground Floor, D C Office Complex, Nand Nagri, Delhi 110093	Sh. Subhash Chand, ACP	6828401212
03	South	Room No. 2, Saket Court Office of SDM Saket, M.B. Road, Saket, New Delhi-110068	Sh. Subhash Malik, ACP	9999024386
04	Central	Office of District Election Officer, District Central, 14 Darya Ganj, Delhi 110002	Sh. Rattan Pal, ACP	9868557172
05	South-west	Room No. A1, Multipurpose Hall, Office of District Election Officer (South-West), Old Terminal Tax Building, Kapashera, Delhi- 110037	Sh. Jaldhari Meena, ACP	8527026535
06	East	Civil Defence Training Hall, B-Block, Irrigation and Flood Control Department Complex, L.M. Bundh, Shastri Nagar, Delhi-110031 (Near VREC, AC-58, Laxmi Nagar)	Sh. Brijesh Namboori, ACP	9811917994
07	West	Room No. 1, Ground Floor, Plot No. 3, Shivaji Place, Office of District Magistrate (West), Raja Garden New Delhi-110027	Sh. Devender Kumar, ACP	9968488783
08	North	Room No. 3, Court Room, Office of the District Magistrate (North), Near Swami Sharadhanand College, GT Karnal Road, Alipur, Delhi-110036	Sh. Joginder Singh, ACP	6828402312
09	New Delhi	Room No. 6, NDRF Building Complex, 12/4 Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi- 110011	Smt. Sanghmitra, ACP	7011858485
10	Shahdara	A-Block, DC Office Complex, Nand Nagri.	Sh. Gurdev Singh, ACP	7678360538
11	South-East	Office of District Election Officer, District South East, Old Gargi College Building, Lajpat Nagar- IV, New Delhi-110024.	Sh. Rajesh Dogra, ACP	9599951091

This is being issued for the information, guidance and compliance of all concerned including political parties/candidates.

Sd/-
(RAJESH KUMAR)
Special CEO, Delhi

For voting, your name in the Electoral Roll is mandatory

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

DIP/Shabdarth/Classified/0358/24-25

DIPR/CP/R04178/AAPL/2024-25 KSMSCL, Bengaluru.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Helpline No. 1800-111-400 and 1950 : www.ceodelhi.gov.in

GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NCT OF DELHI - 2025

PUBLIC NOTICE

ToI 08-01-2025

REGARDING MODEL CODE OF CONDUCT & ELECTION CONTROL ROOMS IN NCT OF DELHI

The Election Commission of India has announced General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi - 2025 and therefore, Model Code of Conduct has come into force with immediate effect. The District Election functionaries / Returning Officers will be enforcing the Model Code of Conduct in letter and spirit.

It is informed that as per section 170 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), any person giving or accepting any gratification in cash or kind during election process, with a view to inducing any person to exercise his / her electoral right is punishable with imprisonment upto one year or with fine or with both.

Further, as per section 171 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), any person who threatens any candidate or elector, or any other person, with injury of any kind, is punishable with imprisonment up to one year or with fine or both.

Flying Squads have been formed to register cases against both the giver and taker of bribe and for taking action against those who are engaged in threat and intimidation of electors.

All the citizens are hereby requested to refrain from any illegal activities as above and in case, anybody offers any bribe or is having knowledge about the bribe or case of threat / intimidation of electors, then he/she should inform on the toll free number of the 24x7 Complaint Monitoring Cell of the District Election Officer, set up for receiving complaints.

General Public is therefore, informed that if they come across any of the following incidents :

- Violation of Model Code of Conduct including defacement of any public property / any property in public view
- Distribution of cash, liquor, gifts etc. or offering / attempting to offer bribe by the candidates / political parties
- Threatening/intimidation of electors
- Any other electoral malpractices

They may report the matter to the District Election Officer/ District Magistrate of the area at Toll Free Numbers given below:

S. No.	Name of District	Address of Control Room	Toll Free No.	Phone No. & E-mail ID
1.	North-West	Room No 34 (DDMA), DC Office Complex, Kanjhawala, Delhi	1800-111401	011-20896323 011-20896360 011-20896361 011-20896362 **controlroomnw25@gmail.com**
2.	North-East	F-Block, Office of District Election Officer, North-East, Nand Nagri, Delhi	1800-111402	011-22115289 **dcne@nic.in**
3.	South	Porta Cabin No. 1, Office of SDM Saket, M.B. Road, Saket, New Delhi-110068	1800-111403	011-20860811 **ctrlroomsouth.dlae25@outlook.com**
4.	Central	Office of DEO Central 14, Daryaganj, Delhi-110002	1800-111305	011-23258455 **cvigilcentraldcc@gmail.com**
		Sir C V Raman ITI, Dheerpur, Delhi-110009	1800-111405	011-23250151 **cvigilcentraldcc@gmail.com**
5.	East	DDMA Building Office of the District Magistrate (East), A-Block, L.M. Bundh, Shastri Nagar, Delhi-110031	1800-111406	011-22010403 **controlroomeast2025@gmail.com**
6.	West	Room No. 02, Ground Floor, Plot No. 3, Shivaji Place, Office of District Magistrate (West), Raja Garden, New Delhi-110027	1800-111407	011-25107440 **dcrcwest@gmail.com**
7.	North	Court Room-03, DC Office Complex, Alipur, Delhi-110036	1800-111408	011-20872012 011-20872013 011-20872014 011-20872015 **dcrccnorth25@gmail.com**
8.	New Delhi	12A, NDRF Building, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011	1800-111409	011-23075139 **vscontrolroom24x7@gmail.com**
9.	Shahdara	F-Block, DC Office Complex, Nand Nagri, Delhi-110093	1800-111310	011-20824976 **controlroomshah2025@gmail.com**
10.	South-West	Room No 7, 2nd Floor, Office of DEO/DM, District South West, Old Terminal Tax Building, Kapashera, Delhi-110037	1800-111307	011-25065683 **dlaecotrolroomsw@gmail.com**
11.	South-East	Room no. 116, Office of the District Election Officer, District Southeast, Old Gargi College Building, Lajpat Nagar-IV, New Delhi- 110024	1800-111308	011-20904901 **complaints.nodalofficer.se2025@gmail.com**

Control Room of CEO Delhi Telephone No. 011-23928100 Toll Free No. 1800-111-400

Citizens can also upload live complaint through "cVIGIL" mobile App

Sd/-
(RAJESH KUMAR)
Special CEO, Delhi

DIP/Shabdarth/Classified/0357/24-25

C M K

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI
OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE, DELHI-110006
www.ceodelhi.gov.in
Helpline Nos. 1800-111-400 and 1950

GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NCT OF DELHI - 2025

TOI
08-01-2025

PUBLIC NOTICE

PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTIES

The Election Commission of India has announced General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi – 2025 and therefore, Model Code of Conduct has come into force with immediate effect. It is hereby informed to the general public, political parties and all aspiring candidates and their supporters, that defacement of any property (government or private) in public view by way of writing or marking with ink, chalk, paint or any other material in the form of posters, writing on wall, banners and unauthorized hoardings are prohibited under the provisions of "The Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007".

Hoardings and advertisements displayed at duly authorized public places are allowed after approval by appropriate authorities for a specific period after paying the applicable charges.

An offence punishable under this Act shall be cognizable and whoever is found to be committing/indulging in defacement shall be punishable under Section 3 of the Act, with imprisonment for a term which may extend to one-year, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

Where any offence committed under this Act is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) then, such other person and Every President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, Agent or any other officer or persons connected with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

It is also informed that Section 127A of the Representation of the People Act, 1951 inter-alia mentions that no person shall print or publish any pamphlet or poster which does not bear on its face the names and address of the printer and the publisher thereof. Any person who contravenes the provisions of Section 127A of the Representation of the People Act, 1951 shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Further section 176 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) also prohibits incurring of expenditure, inter-alia, advertisement, circular or publication, for the purpose of promoting or procuring the election of candidate without authority from the candidate. As such in any advertisement/election matter for or against any political party or candidate in print media, during the election period, the name and address of the publisher should be given along with the matter/advertisement.

The above mentioned provisions of the law shall be strictly enforced during the period of the Model Code of Conduct for General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi – 2025.

This is being issued for the guidance, information and compliance of all parties/ candidates/printing presses.

Citizens can also upload live complaint through "cVIGIL" mobile App

Sd/-
(RAJESH KUMAR)
Special CEO, Delhi

DIP/Shabdarth/Classified/0356/24-25

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006
www.ceodelhi.gov.in
Helpline Nos. 1800-111-400 and 1950

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव - 2025

सार्वजनिक सूचना

NBT
08-01-2025

सम्पत्ति विरूपित करने पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव - 2025 की घोषणा कर दी है और इसलिए, आदर्श आचार संहिता त्वरित प्रभाव से लागू हो गई है। आम जनता, राजनीतिक दलों और सभी आकांक्षी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि "दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007" के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक मत में स्याही, चॉक, पैंट अथवा किसी अन्य सामग्री से लिखकर अथवा अंकित करके दीवार पर पोस्टर, लिखावट, बैनर और अनधिकृत होर्डिंग्स के रूप में किसी भी संपत्ति (सरकारी अथवा निजी) का विरूपित करना प्रतिबंधित है।

उपयुक्त अधिकारियों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद विधिवत अधिकृत सार्वजनिक स्थानों पर विशिष्ट अवधि के लिए होर्डिंग्स और विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है।

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध, संज्ञेय अपराध होगा और जो कोई भी विरूपण करने/विरूपण में शामिल होने का दोषी पाया जाता है, उसे इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि तक का कारावास अथवा पचास हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

जहां इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा अन्य निकाय निगमित अथवा व्यक्तियों के एसोसिएशन (निगमित हो अथवा नहीं) के लाभार्थ किया जाता है, उस स्थिति में, ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष, निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, सचिव, एजेंट या अन्य कोई अधिकारी अथवा उसके प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जब तक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी अथवा सहमति के बिना किया गया है, उसे ऐसे अपराध का अपराधी समझा जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी पेम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा जिस पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित न हो। जो कोई भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे छह माह की अवधि तक कारावास अथवा एक हजार रूपये तक जुर्माने अथवा दोनों की सजा का दंड दिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 176 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी से प्राधिकार लिए बिना प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार-प्रसार करने के प्रयोजनार्थ किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर खर्च वहन करने पर भी प्रतिबंध है। अत: चुनाव अवधि के दौरान, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में अथवा उसके खिलाफ मुद्रित विज्ञापन/चुनाव सामग्री में, सामग्री/विज्ञापन के साथ प्रकाशक का नाम और पता दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव - 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उल्लिखित कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

यह सभी दलों/ प्रत्याशियों/मुद्रणालयों के मार्गदर्शन, सूचना और अनुपालन के लिए जारी किया जा रहा है।

नागरिक मोबाइल ऐप "cVIGIL" के माध्यम से लाइव शिकायत भी अपलोड कर सकते हैं।

ह./-
(राजेश कुमार)
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

DIP/Shabdarth/Classified/0356/24-25

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006
www.ceodelhi.gov.in
हेल्पलाइन नम्बर 1800-111-400 एवं 1950

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव - 2025

NBT
08-01-2025

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आदर्श आचार संहिता और चुनाव नियंत्रण कक्ष के संबंध में

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है और इसलिए, आदर्श आचार संहिता त्वरित प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आदर्श आचार संहिता को अक्षरशः लागू करेंगे।

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 170 के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद या इस प्रकार की कोई अन्य वस्तु देता है या किसी भी प्रकार का पारितोषिक स्वीकार करता है, तो यह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 171 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उम्मीदवार या मतदाता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, तो यह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है।

रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के विरूद्ध मामला दर्ज करने और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है, जो मतदाताओं को धमकाते / डराते हैं।

सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की रिश्वत देता है या किसी को भी रिश्वत देने या मतदाताओं को धमकाने / डराने के बारे में उसके पास कोई जानकारी हो, तो उसे शिकायतें प्राप्त करने के लिए गठित किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी के 24X7 शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर पर सूचित करना चाहिए।

अतः जन सामान्य को सूचित किया जाता है, यदि उन्हें निम्नलिखित किसी भी घटना के बारे में पता चले :-

- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जिसमें सार्वजनिक संपत्ति / सार्वजनिक रूप से दिखने वाली किसी भी संपत्ति का विरूपण शामिल है।
- नकद, शराब, उपहार आदि का वितरण या उम्मीदवारों / राजनीतिक दलों द्वारा रिश्वत देने का प्रयास
- मतदाताओं को धकमाना / डराना
- कोई अन्य चुनावी कदाचार

वे इस मामले को निम्ननिखित टोल फ्री नंबरों पर क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर कसते हैं

क्र. सं.	जिले का नाम	नियंत्रण कक्ष का पता	टोल फ्री नंबर	दुरभाष सं. और ई-मेल आईडी
1	उत्तर-पश्चिम	कक्ष संख्या-34 (डीडीएमए), डीसी कार्यालय परिसर, कंझावला, दिल्ली	1800-111401	011-20896323 011-20896360 011-20896361 011-20896362 controlroomnw25@gmail.com
2	उत्तर-पूर्व	एफ-ब्लॉक, कार्यालय जिला निर्वाजन अधिकारी, उत्तर पूर्व, नंद नगरी, दिल्ली	1800-111402	011-22115289 dcne@nic.in
3	दक्षिण	पोर्टा केबिन सं. -1, कार्यालय एसडीएम साकेत, एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली - 110068	1800-111403	011-20860811 ctrlroomsouth.dlae25@outlook.com
4	मध्य	1. कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य, 14 दरिया गंज, दिल्ली - 110002	1800-111305	011-23258455 cvigilcentraldcc@gmail.com
		2. सर सी.वी.रमन आईटीआई, धीरपुर, दिल्ली - 110009	1800-111405	011-23250151 cvigilcentraldcc@gmail.com
5	पूर्व	डीडीएमए बिल्डिंग कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व), ए-ब्लॉक, एल.एम. बांध, शास्त्री नगर, दिल्ली - 110031	1800-111406	011-22010403 controlroomeast2025@gmail.com
6	पश्चिम	कक्ष सं. - 2, भूतल, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (पश्चिम), प्लॉट संश्या-3 शिवाजी प्लेस, राजा गाईन नई दिल्ली-110027	1800-111407	011-25107440 dcrcwest@gmail.com
7	उत्तर	कोर्ट रुम-3, डीसी कार्यालय परिसर, अलीपुर, दिल्ली - 110036	1800-111408	011-20872012 011-20872013 011-20872014 011-20872015 dcrccnorth25@gmail.com
8	नई दिल्ली	12ए, एनडीआरएफ भवन, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली - 110011	1800-111409	011-23075139 vscontrolroom24x7@gmail.com
9	शाहदरा	एफ-ब्लॉक, डीसी कार्यालय परिसर, नंद नगरी, दिल्ली - 110093	1800-111310	011-20824976 controlroomshah2025@gmail.com
10	दक्षिण-पश्चिम	कक्ष संख्या-7, दुसरा तल, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण-पश्चिम, ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग कापसहेडा, दिल्ली - 110037	1800-111307	011-25065683 dlaecotrolroomsw@gmail.com
11	दक्षिण-पूर्व	कक्ष सं. - 116, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दक्षिण पूर्व ओल्ड गार्गी कालेज बिल्डिंग, लाजपत नगर - IV, नई दिल्ली - 110024	1800-111308	011-20904901 complaints.nodalofficer.se2025@gmail.com

सीईओ दिल्ली का नियंत्रण कक्ष दूरभाष सं. - 011-23928100 टोल फ्री नंबर - 1800-111-400

नागरिक मोबाइल ऐप "cVIGIL" के माध्यम से लाइव शिकायत भी अपलोड कर सकते हैं

ह./-
(राजेश कुमार)
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

DIP/Shabdarth/Classified/0357/24-25

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006

हेल्पलाइन न. 1800-111-400 और 1950; वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा आम चुनाव 2025

NBT
08-01-2025

सार्वजनिक सूचना

चुनाव समयावधि के दौरान अनुमति पत्र जारी करने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था

एतद्द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि चुनाव के दौरान आम सभाओं/रैलियों/जलूसों /लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों का उपयोग करने के साथ ही गैर-वाणिज्यिक/सुदूर/अनियंत्रित हवाई अड्डों/हैलीपैड आदि के उपयोग को सुगम बनाने के संबंध में, आवेदन प्राप्त करने और अनुमति पत्र/निर्णय जारी करने हेतु दिल्ली के सभी 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में **एकल खिड़की की व्यवस्था** की गई है।

''एकल खिड़की व्यवस्था'' की कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:

1. (क) अनुमति चाहने वाली राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार को किसी कार्यक्रम के आयोजन से न्यूनतम **48 घण्टे पूर्व**, भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण संबंधी अनुदेशों का संकलन (दिसंबर- 2024) (https://www.eci.gov.in/compendium-of-instructions पर उपलब्ध) के अनुलग्नक-डी1 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में अपने समस्त व्यय योजना ब्यौरों के साथ आवेदन **''सुविधा कैंडिडेट ऐप''** मोबाइल ऐप पर या ECI पोर्टल suvidha.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

   (ख) राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एकल खिड़की पर सहायक पुलिस आयुक्त (अनुमति) के पास आवेदन कर सकते हैं।

   (ग) कोई भी राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार आवेदन करने (आवेदन की तिथि को छोड़कर) के 07 दिनों के भीतर आयोजित की जाने वाली रैलियों/कार्यक्रमों/जलूसों आदि के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है/कर सकता है।

   (घ) किसी एक दिन विशेष में होने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अपेक्षित है।

   (ङ) यदि कोई कार्यक्रम/रैली/जलूस एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर्स के क्षेत्राधिकार में आने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है तो ऐसे आयोजन हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एसीपी (अनुमति) को अलग-अलग आवेदन करने अपेक्षित होंगे।

2. एसीपी (अनुमति) आवेदन प्राप्त होने के निर्धारित समय के भीतर अन्य विभागों जैसे अग्नि, स्थानीय प्राधिकरणों, भू-स्वामित्व एजेंसियों, डिस्कॉम (विद्युत), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आदि से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हुई, को लेने के पश्चात राजनीतिक पार्टियों/उम्मीदवारों को अनुमति पत्र/निर्णय जारी करेगा।

3. आवेदक को **''पहले आओ पहले पाओ''** आधार पर केवल एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से अनुमति पत्र/निर्णय जारी किया जाएगा।

4. यह आवेदन फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट "https://ceodelhi.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है।

उपर्युक्त उल्लिखित कार्यवाही/प्रणाली चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में स्थापित एकल खिड़की व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	एकल खिड़की का पता	एसीपी/इंस्पेक्टर (अनुमति) का नाम/पदनाम	मोबाइल नं.
1.	उत्तर-पश्चिम	कक्ष संख्या-17, वेटिंग हॉल, डीसी कार्यालय परिसर, कंझावला, दिल्ली-110081	श्री कृष्ण लाल, एसीपी	9999631613
2.	उत्तर-पूर्व	सिंगल विंडो, डिस्ट्रिक्ट नार्थ-ईस्ट बी-ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नंद नगरी, दिल्ली-110093	श्री सुभाष चन्द, एसीपी	6828401212
3.	दक्षिण	कक्ष सं.-2, साकेत कोर्ट, एसडीएम साकेत कार्यालय, एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068	श्री सुभाष मलिक, एसीपी	9999024386
4.	मध्य	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-मध्य, 14 दरिया गंज, दिल्ली-110002	श्री रतन पाल, एसीपी	9868557172
5.	दक्षिण-पश्चिम	कक्ष संख्या-A1, बहुउद्देशीय हॉल, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (दक्षिण-पश्चिम), ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग कापसहेड़ा, दिल्ली-110037	श्री जलधारी मीना, एसीपी	8527026535
6.	पूर्व	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल, बी-ब्लॉक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग परिसर, एल.एम. बांध, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031 (निकट वी.आर.ई.सी., विधान सभा क्षेत्र-58, लक्ष्मी नगर)	श्री बृजेश नंबूरी, एसीपी	9811917994
7.	पश्चिम	कक्ष सं.-1, भूतल, कार्यालय जिलाधिकारी (पश्चिम), प्लॉट संख्या-3 शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन नई दिल्ली-110027	श्री देवेन्द्र कुमार, एसीपी	9968488783
8.	उत्तर	कक्ष सं.-3 कोर्ट रूम, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर), निकट स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जी.टी. करनाल रोड, अलीपुर, दिल्ली-110036	श्री जोगिंदर सिंह, एसीपी	6828402312
9.	नई दिल्ली	कक्ष सं.-6, एनडीआरएफ भवन परिसर, 12/4 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011	श्रीमती संघमित्रा, एसीपी	7011858485
10.	शाहदरा	ए-ब्लॉक, डीसी कार्यालय परिसर, नंद नगरी	श्री गुरदेव सिंह, एसीपी	7678360538
11.	दक्षिण-पूर्व	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दक्षिण पूर्व, पुराना गार्गी कालेज भवन, लाजपत नगर-IV नई दिल्ली-110024	श्री राजेश डोगरा, एसीपी	9599951091

यह सूचना राजनीतिक पार्टियों/उम्मीदवारों सहित सभी संबंधितों के मार्ग-निर्देशन एवं अनुपालन हेतु जारी की जा रही है।

ह./-

(राजेश कुमार)

विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

मतदान के लिए, आपका नाम निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य है।

कोई मतदाता न छूटे

Classified/0358/24-25